



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Manoj Kumar



Reg No. 100  
Ch-18 Colled  
Mob. 9319541557



FY 291345  
Advocate  
11/2001  
State Court SRE  
Mob. 9319541557



(इकरारनामा मुहायदा बैय बिला कब्जा)

मैं कि श्री मनोज कुमार पुत्र श्री रामगोपाल निवासी 133 न्यू आवास विकास कालोनी परगना तहसील व जिला सहारनपुर (PANCARD BQMPK7022F) (आधारकार्ड 7174 9775 3657) मो0नं0 8171868703 (प्रथम पक्ष)

एवं

श्री सुन्दर पाल पुत्र स्व0 श्री इलमचन्द निवासी नन्द वाटिका गलीरा रोड सदर बाजार परगना तहसील व जिला सहारनपुर (PANCARD BBHPP2930F) (आधारकार्ड 9433 1384 2401) मो0नं0 9719563383 (द्वितीय पक्ष) के हैं।

जो कि निम्नलिखित सम्पत्ति मुझ प्रथमपक्ष ने द्वारा बैनामा इकरारी श्री केशवाराम सम्पत्ति प्रबन्धक द्वारा विजयपाल उ0प्र0 आवास एव विकास परिषद स0पुर से लेखतिथि 03.11.2014 ई0 जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 1 जिल्द 4227 पृष्ठ 57 से 106 पर क्रमांक 8294 रजिस्ट्री दिनांक 07.11.2014 ई0 बदफतर सब रजिस्ट्रार द्वितीय सहारनपुर के खरीद की हुयी है और जिसकी बाबत

Manoj Kumar



Sundar Pal



मुझ प्रथम पक्ष को जुमला अख्तयारात मालकाना व हकूक इतकालात वगैरा हर किराम के हासिल है और जो आज तक हर प्रकार के ऋण भार सरकारी अथवा गैर सरकारी, वाद विवाद, मुहायदे जात, डिकी व जमानत वगैरा हर किसम से पाक व साफ, हैं और मकान विक्रीत की बाबत कोई वाद किसी किसम का किसी अदालत में विचाराधीन नहीं है जिसके पाक व साफ होने का मैं प्रथम पक्ष हर तरह पर जिम्मेदार है। लिहाजा अब मुझ प्रथम पक्ष ने अपनी खुशी व रजामंदी से निम्न सम्पत्ति का सौदा मुबलिंग 80,00,000/-रु0 (अस्सी लाख रुपये मात्र) जिसके आधे 40,00,000/-रु0 (चालीस लाख रुपये मात्र) होते है, बदस्त श्री सुन्दर पाल पुत्र स्व0 श्री इलमचन्द निवासी नन्द वाटिका गलीरा रोड सदर बाजार परगना तहसील व जिला सहारनपुर से तैय कर लिया है, मैं आज की तारीख से द्वितीय पक्ष के साथ शरायत जैल पर तैय किया और द्वितीय पक्ष ने शरायत जैल पर खरीदनी स्वीकार की है, अतः हम दोनों पक्ष व हमारे उत्तराधिकारी व स्थानापन्न शरायत जैल के पाबन्द रहेंगे :-

- 1- यह कि मुझ प्रथम पक्ष ने मुबलिंग 10,00,000/-रु0 (दस लाख रुपये मात्र) द्वारा आर0 टी0 जी0 एस0 जिसका यू0 टी0 आर0 नं0 एस0 बी0 आई0 एन0 आर0 52022121219949263 दिनांक 12.12.2022 के बतौर ब्याने के रूबरू गवाहान के प्राप्त कर लिये हैं।
- 2- यह कि पक्षगण के मध्य निम्न सम्पत्ति का बैनामा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर बकिया रकम मुबलिंग 70,00,000/-रु0 अदा कराकर बैनामा करा लेंगे।
- 3- यह कि प्रथम पक्ष अपनी बकाया रकम मुबलिंग 70,00,000/-रु0 (सत्तर लाख रुपये मात्र) अन्दर मियाद द्वितीय पक्ष से प्राप्त करके द्वितीय पक्ष के हक में या वह जिसके नाम अपनी स्वेच्छा से चाहेगा तहरीर व तकमील करा कर बिना किसी उजर के मैं प्रथम पक्ष रजिस्ट्री करने का जिम्मेदार व पाबन्द रहूँगा।
- 4- यह कि मैं प्रथम पक्ष तामियान इकरारनामा हाजा जायदाद जैल का किसी प्रकार से कोई हस्तानान्तरण आदि किसी अन्य शख्स के हक में नहीं करूँगा।

महामुख



PN



5- यदि उक्त सम्पत्ति मे लोन आदि कुछ देय है तो बैनामे से पूर्व अदा कर दूंगा।

6- यह कि मै प्रथम पक्ष हस्व शरायत इकरारनामा हाजा जायदाद जैल का बैनामा करने मे कासिर रहू तो द्वितीय पक्ष को हक प्राप्त होगा कि वह न्यायालय द्वारा तकमील माहदा बैय कार्यवाही कराकर जायदाद जैल बैय करा लें और बकाया रकम दाखिल अदालत कर दें। ऐसा करने मे जिस कदर हर्जा व खर्चा द्वितीय पक्ष का होगा उसको अदा करने की तमाम जिम्मेदारी मुझ प्रथम पक्ष की जात-खास व जायद हर किसम पर होगी।

### विवरण सम्पत्ति अनुबन्धित

सम्पत्ति सख्या श्रेणी उच्च आय वर्ग भवन सं०-३ए/४१ कुल क्षेत्रफल २०० वर्गमीटर आच्छादित क्षेत्रफल १८०.७० वर्गमीटर जिसकी नाप पूरब १० मीटर, पश्चिम १० मीटर, उत्तर २० मीटर व दक्षिण २० मीटर है, बाकें शाकुम्भरी विहार (मवीकलॉ योजना सं०-८) परगना तहसील व जिला सहारनपुर।

### सीमायें

पूरब	-	सडक ०९ मीटर चौडी।
पश्चिम	-	भवन सं० - ३ए/३०
उत्तर	-	भवन सं० - ३ए/४२
दक्षिण	-	भवन सं० - ३ए/४०

initials  


SP  
